न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 24/2017

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र तुलछीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–प्रतिवादी

2. हनुमान 3. भालाराम 4. महावीर 5. बृजलाल 6. कालुराम 7. रणजीत 8. पालाराम पि0 रामस्वरूप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
9. विधा पत्नी रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
10. रणजीत 11. लिछीराम पि0 रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
12. मदन पुत्र रामजी जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
13. जोतराम पुत्र नन्दा जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
14. नत्थुराम 15. हंसराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
16. मोहरा पुत्री काशीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
17. सावित्री पत्नी पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
18. विनोद 19. रामसिंह 20. मैना 21. सोना पि0 पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
22. मंजु 23. रजनी पुत्रीयान पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
24. राजेराम पुत्र शान्ति देवी जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
25. देवीलाल 26. साहबराम 27. महेन्द्र 28. गांधीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
29. शिलादेवी पत्नी दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
30. भागीरथ 31. रामसिंह दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
32. जुगतीराम 33. मोहरसिंह 34. कालुराम 35 कुन्तादेवी 36. संन्तोष 37. सुमन पुत्री/पुत्रीयान दलीप दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण रा० 2 ता 37 के पूर्वजो की पुरानी कब्जा काश्त की नोतोड की गई भूमि रोही मौजा ढण्ढेंला बारानी की ख.न. 235 की 4 बीघा 01 बिस्वा ख0न0 237 की 41 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 241 की 13 बीघा 18 बिस्वा ख0न0 2[illegible] की 67 बीघा 13 बिस्वा कुल 4 खसरो की 127 बीघा 9 बिस्वा बारानी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण रा० 2 ता 37 के पूर्वजो [illegible]म वल्द नानक निष्प हि. तुलछीराम, जोतिया पि० नंन्दा निष्प हिस्सा भूमि पुरानी बजड़ भूमि को नौतोड करके

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काफी रूपया पैसा लगाकर ऊपजाउ बनाई गई भूमि थी। जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे। श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा 15 (ए.ए.ए.) के तहत दिनांक 14–03–94 को 125 बीघा 13 बिस्वा भूमि को खातेदारी मानते हुये बाकी 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि को गैरखातेदारी छोड दिया जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 37 के हितो का हनन होता है इसलिए वादी उक्त भूमि हाल जमाबन्दी के खाता स० 281/2 की न 481/1 की 0.2910 हैक्टयर ख0न0 481/241 की 0.184 हैक्टयर गुल 4350 हैक्टयर भूमि को खातेदारी दर्ज करवापाने का अधिकारी है यही विनाय दाया है। उक्त भूमि वर्तमान में खसरों में परिवार्तित हो चुकी है जिसके मुताबिक हाल जगाबन्दी में खाता स० 251/269 के सन 258/1 को 2. 2910 हैक्ट, ख0न0 4812241 की 0.164 हैक्टयर कुल दो किया की 0.4550 हैक्टयर तथा खातेदार चुनीराम, तुलधीराम, तथा जोसिया फौत हो चुके है इसलिए चुताबिक हिस्सा उक्त भूमि यादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता जो उनके वारिस है के नाम दर्ज हो चुकी है तथा वर्तमान में यही काश्त करते है तथा रकम राजा आया करते है उक्त भूमि सदामत से ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता37 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसके वे खातेदार काटाशकार हो चुके है तथा यादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता37 गरीब व्यक्ति है तथा मजदुरी करके परिवार का पालण पोषण करते है तथा उक्त भूमि पर भी काफी रुपया पैसा खर्च करके ऊपजाउ बनाया है लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदारी दर्ज होने से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता के हितो का हनन होता है तथा अन्याग होता है इसलिए इस भूमि के खातेदार काशाकार दर्ज किया जाये।

अत वाद वादी घोषणा कि जाते कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के ख0न0 268/1 की 0. 2910 हैक्ट, ख0न0 481/241 की 0.164 हैक्ट कुल 0.4550 हैक्टयर भूमि के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2ता37 खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिए गैरखातेदारी की जगह खातेदार दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। परोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष [illegible] वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवा[illegible] 37 [illegible] वल्द नानक निष्प हि. तुलछीराम, जोतिया पि० नंन्दा [illegible] बजड़ भूमि को नौतोड करके काफी रूपया पैसा लगाकर ऊपजाउ बनाई गई भूमि थी। [illegible]सके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे। श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा 15 (ए.ए.ए.) के तहत दिनांक 14–03–94 को 125

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

बीघा 13 बिस्वा भूमि को खातेदारी मानते हुये बाकी 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि को गैरखातेदारी छोड दिया जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 37 के हितो का हनन होता है इसलिए वादी उक्त भूमि हाल जमाबन्दी के खाता स० 281/2 की न 481/1 की 0.2910 हैक्टयर ख0न0 481/241 की 0.184 हैक्टयर गुल 4350 हैक्टयर भूमि को खातेदारी दर्ज करवापाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने गैरखातेदारी से खातदेारी दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा रोही मौजा ढण्डेला बारानी के ख0न0 268/1 की 0.2910, ख0न0 481/241 की 0.164 हैक्ट कुल 0.4550 हैक्ट भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है एवं कथन किया गया है कि श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा 15 (ए.ए.ए.) के तहत दिनांक 14–03–94 को 125 बीघा 13 बिस्वा भूमि को खातेदारी मानते हुये बाकी 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि को गैरखातेदारी छोड दिया गया था जिसे वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

न्यायालय तहसीलदार राजस्व के निर्णय दिनांक 03.01.1994 द्वारा 15 एएए (3) (2क) के अन्तर्गत गत बंदोबस्त के खसरा/क्षेत्रफल से वर्तमान रिकार्ड का मिलान होने की हद तक निःशुल्क खातेदारी दी जा चुकी है एवं आईजीएनपी नियम 1975 में इनको निशुल्क खातेदारी भी नही दी जा सकती है। वादी द्वारा 1 बिघा 16 बिस्वा रकबा कब दर्ज हुआ है बाबत पत्रावली मे कोई साक्ष्य (जमाबंदी 2012/मिलान क्षेत्रफल/मिसल बंदोबस्त) पेश नही किये है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 24/2017

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र तुलछीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–प्रतिवादी

2. हनुमान 3. भालाराम 4. महावीर 5. बृजलाल 6. कालुराम 7. रणजीत 8. पालाराम पि0 रामस्वरूप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
9. विधा पत्नी रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
10. रणजीत 11. लिछीराम पि0 रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
12. मदन पुत्र रामजी जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
13. जोतराम पुत्र नन्दा जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
14. नत्थुराम 15. हंसराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
16. मोहरा पुत्री काशीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
17. सावित्री पत्नी पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
18. विनोद 19. रामसिंह 20. मैना 21. सोना पि0 पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
22. मंजु 23. रजनी पुत्रीयान पृथ्वीराज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
24. राजेराम पुत्र शान्ति देवी जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
25. देवीलाल 26. साहबराम 27. महेन्द्र 28. गांधीराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
29. शिलादेवी पत्नी दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
30. भागीरथ 31. रामसिंह दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।
32. जुगतीराम 33. मोहरसिंह 34. कालुराम 35 कुन्तादेवी 36. संन्तोष 37. सुमन पुत्री/पुत्रीयान दलीप दलीप जाति बाल्मिकी निवासी ढाणीलालखं तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 24 सन 2017 निर्णय दिनांक 13/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....13/05/26.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested